फर्द अहकाम

लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण बनाम तहसीलदार पावटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)
प्रकरण संख्या ......0 8....../2025 प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी
जीसीएमएस संख्या: 2025/234

क. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	26.06.25	पत्रावली आज आदेशार्थ पेश हुई, प्रार्थी / अधि० उप० । प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसलबन्द किया गया। तहसीलदार को पत्रावली फैसला हुकम भेजा एवं नकल [illegible] हो बाद दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar
Date: 2025.08.01 14:33:23 IST
Reason: SelfAttested

<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)</u>

पीठासीन अधिकारी :– श्री कपिल कुमार (RAS)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 09/2025 दायर दि. 05.06.2025

उनवान

लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण पुत्र उमराव जाति यादव निवासी ढाणी खजूरवाली तन पण्डितपुरा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड। **प्रार्थी**

बनाम

तहसीलदार पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान। **अप्रार्थी**

<u>प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट</u>

निर्णय दिनांक: 26.06.2025

1. प्रार्थी के ओर से जरिये अधिवक्ता श्री नरेश कुमार यादव के द्वारा प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी निम्नानुसार पेश है कि आराजी खसरा नम्बर 516/1/0.11, 517/1/0.0150 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा पण्डितपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 516/1/0.11, 517/1/0.01500 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा पण्डितपुरा तहसील पावटा के सम्पूर्ण हिस्से के प्रार्थी मुताबिक जमाबन्दी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है। जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना–पत्र है।

2. प्रार्थी की उक्त आराजी खसरा नम्बर 516/1/0.11, 517/1/0.0150 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा पण्डितपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान से लगती अन्य भूमि के खातेदार काश्तकार आये दिन ताकत के बल पर प्रार्थी की उक्त आराजी भूमि की डोल वगैरह तोड़ देते है, फसल नष्ट कर देते है तथा प्रार्थी की आराजी को अपनी आराजी में मिलाने पर उतारु है। प्रार्थी द्वारा समझाने पर नही मान रहे है, मरनें–मारनें पर आमादा है। इसलिए प्रार्थी की उक्त आराजी खसरा नम्बर 516/1/0.11, 517/1/0.0150 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा पण्डितपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान की पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायसंगत है।

3. प्रार्थी नें पूर्व में अपनी उक्त आराजी का सीमाज्ञान दिनांक 13.05.2025 को करवाया जा चुका है। प्रार्थी ने अपनी उक्त आराजी भूमि की पत्थरगढ़ी करने हेतु अप्रार्थी तहसीलदार पावटा को कहा तो तहसीलदार पावटा ने सक्षम न्यायलय में प्रार्थना–पत्र पेश करने हेतु कहा। इसलिए प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रा[illegible] निर्धारित न्यायशुल्क पर पेश है। आराजी विवादास्पद माननीय न्या[illegible] क्षेत्राधिकार में स्थित होने से माननीय न्यायालय को प्रा[illegible] अधिकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar
Date: 2025.08.01 14:33:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड)

4. अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 516/1/0.11, 517/1/0.0150 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा पण्डितपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान की पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओ का निश्चयीकरण विधि की व्यवस्था में निर्धारित प्रकिया से कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है ताकि अपनी भूमि का सही रूप से उपयोग कर सकें।

5. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पैरोकार से जवाब लिया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थी ने प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकरण को दिनांक 13.05.2025 के अनुसार हुए सीमाज्ञान मुताबिक पत्थरगढी के आदेश पारित करने बाबत निवेदन किया। हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में पाया गया कि प्रश्नगत आराजी का दिनांक 13.05.2025 को सीमाज्ञान किया गया है तथा प्रार्थी अपने सुखाधिकार एवं भूमि की रक्षा व सींव डोल की सुरक्षा हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

6. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पावटा को आदेश दिये जाते हैं कि आराजी खसरा नम्बर 516/1/0.11, 517/1/0.0150 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा पण्डितपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान का दिनांक 13.05.2025 को हुये सीमाज्ञान के मुताबिक यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो नियमानुसार फीस जमा करवाकर पत्थरगढ़ी करवावे। तथा पत्थरगढी के आदेश के माध्यम से किसी भी प्रकार की बेदखली की कार्यवाही नही की जावे। तदानुसार आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल कुमार, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar
Date: 2025.08.01 14:33:23 IST
Reason: SelfAttested